

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यापालक दण्डनायक
तहसील सांगोद, जिला कोटा

राज्य के विशेष पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: प.सुगम/ 915 /एसओबीसी 2013

दिनांक: 17/07/2013

यह प्रमाणित किया जाता है :

प्रार्थी श्री/सुश्री/श्रीमति देवनन्द गोचर

पुत्र/पुत्री/पत्नि लक्ष्मण गोचर

निवासी विजयपुर

शहर/ग्राम विजयपुर

जिला कोटा

के/की निवासी है तथा ये/और इनका कुटुम्ब यहां स्थाई रूप से निवास करता/करती है।

उक्त श्री/श्रीमति/कुमारी देवनन्द गोचर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

विभाग की अधिसूचना संख्या प./11(164) आर.एण्ड.पी./एस.जे.ई.डी./09/46855 दिनांक 25.8.2009 से अधिसूचित राजस्थान

राज्य के विशेष पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से

गुर्जर-3

वर्ग/जाति के/की सदस्य है।

श्री/श्रीमती/कुमारी देवनन्द गोचर

आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के

कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.8.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के

अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) के/की नहीं है।

उक्त प्रमाण पत्र राज्य सरकार (कार्मिक विभाग) क-2 के आदेश क्रमांक ई एफ 7 (8 डी.ओ.पी) क-2/2008 जयपुर दिनांक

06.05.2010 के अध्याधीन होगा।


तहसीलदार सांगोद
जिला कोटा (राजस्थान)